न्यायालय उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर) राज०
पीठासीन अधिकारी - श्री विश्राम मीणा R.A.S

मुकदमा संख्या	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
S.D.O. NO - 36/08	18.01.2008	04/08/2017
A.C.M NO - 378/13	8.3.2013	

अनुवाद

[1] श्री मति सन्तोष पत्नि श्री ताराचन्द जाति कुम्हार निवासी कुहीवास तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज०)
- वादिया

बनाम

[1] रामानन्द
[2] सुन्डा पुत्र किस्तुरी पुत्री उमराव जाति अहीर निवासी कुहीवास तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज०)
[3] राज. सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर कोटकासिम जिला अलवर (राज०)
[4] श्री मति सुशीला देवी पत्नि बाबुलाल जाति कुमावत
[5] कैलाशचन्द पुत्र खेमचन्द जाति वाल्मिक निवासी कुहीवास
[6] रामधन पुत्र मनसुखराम जाति अहीर निवासी ग्रामवास
[7] दशरथ पुत्र हरिकिशन उर्फ कालुसिंह जाति राजपूत निवासी कुहीवास तहसील कोटकासिम (अलवर) राज०
- प्रतिवादीगण

दावा तकासमा आराजी मय हुक्म इम्तनाई दवामी
अं. धा. 53,188 राज. काश्त. अधिनियम 1955

वादिया ने संक्षेप में इस न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 18.1.2008 को पेश किया संशोधित वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी खसरा नं. 1170 रकबा 1.00 बीघा वाके ग्राम कुहीवास वादिया की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिसका राजस्व रिकार्ड में अंकन है।
लगातार-

वादिया ने विवादित आराजी का 1/3 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 6.6.1996 को विरेन्द्र पुत्र किस्तूरी पुत्री उमराव जाति अहीर निवासी बुढ़िवाड़ा तहसील कोटकासिम से बाजाप्ता का कब्जा खरीद किया था। बक्त खरीद से वादिया अपने 1/3 हिस्से पर काबिज काश्त है। जिसका बटवारा बाहमी रूप से पक्षकारान के मध्य हो रहा है। विवादित आराजी में प्रतिवादीगण आये रोज वादिया के कब्जे काश्त में नाजायज व मदाखलत करते रहते है। इसलिए वादिया वाद मौतिल स्थाई व्यादेश तकासला करने की अधिकारी है। अतः आज्ञा इस आशय से जारी की जावे कि पोजिदा बयनामा क्रमांक 137, 138, 139, 140 दिनांक 19.1.08 के आधार पर किसी प्रकार के इन्तकाल आदि दर्ज वो स्वीकार नहीं करावे ना रिकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन करावे। ना वादिया को उसकी आराजी से जबरन बेदखल करे, ना कब्जा करे, ना किसी प्रकार की कच्ची-पक्की तामीरात करे, ना हकूक वादिया समाप्त करे, मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1 व 2 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने अपने वाद पत्र में अंकित किया कि विवादित आराजी में वादिया का कोई हक हिस्सा नहीं है ना ही वादिया का कब्जा काश्त है। राजस्व रिकार्ड में वादिया का जो इन्द्राज हो रहा है वह गलत तौर से मौका की कब्जा काश्त के विपरीत अमल हो रहा है। बल्कि मिन प्रतिवादीगण की खातेदारी कब्जा काश्त की आराजी है जिस पर मौका पर काबिज है। विरेन्द्र द्वारा अपने 1/3 भाग का कोई बेचान नहीं किया जो कि शराब पीने का आदी है। वादिया का पति रुआब-दाबदार व्यक्ति है जिसने वीरेन्द्र को शराब पिलाकर 1/3 भाग का बयनामा अपनी पत्नि के हक में बिना कब्जा बदल व बिना जरे-बदल के करा लिया। जिस बयनामा बाबत गांव में पंचायत भी हुई जिस पर वादिया के पति ने तीन गुना रकम लेना व बयनामा पर कोई कार्यवाही नहीं करना जवाब दावा में अंकित किया और यह भी अंकित किया कि वादिया कोई अनुतोष पाने की अधिकारी नहीं है। अतः वाद खारिज किया जावे।

प्रतिवादी सं. 3 की ओर से जवाब दावा पेश किया जिसमें अंकित किया कि वादिया की संयुक्त खातेदारी की आराजी है। जिसमें अपने

लगातार—

वैधानिक हिस्से नियमानुसार तकासमा करने का अधिकारी है। बाद में तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य वादी अंकित की। वादिया ने लोक अदालत में दिनांक 10.6.2015 को प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी का बटवारा कर दिया जावे। लोक अदालत दिनांक 10.6.15 को बाद प्रारंभिक डिक्री किया गया। तहसीलदार कोटकासिम को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने को लिखा गया। तहसीलदार कोटकासिम द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये जाने पर वादिया व उसके वकील ने सहमति प्रकट की और कहा कि मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिक्री कर दिया जावे।

अतः वादिया का वाद इस प्रकार फाईनल डिक्री किया जाता है कि आराजी ख.नं. 1170/3 रकबा 0-06 बिस्वा श्रीमति सन्तोष पत्नि ताराचन्द कुम्हार सा. देह खातेदार जिसका लगान 0.24 रहेगी। आराजी ख.नं. 1170/1 रकबा 0-06 बिस्वा रामानन्द पुत्र किस्तुरी अहीर सा. देह खातेदार जिसका लगान 0.24 रहेगी। आराजी ख.नं. 1170/4 रकबा 0-06 बिस्वा सुन्डाराम पुत्र किस्तुरी अहीर सा. देह खातेदार जिसका लगान 0.24 रहेगी। आराजी ख.नं. 1170/2 रकबा 0-02 बिस्वा श्रीमति सन्तोष पत्नि ताराचन्द कुम्हार 1/3, रामानन्द पुत्र किस्तुरी 1/3 अहीर व सुन्डाराम पुत्र किस्तुरी 1/3 अहीर सा. देह खातेदार जिसका लगान 0.08 रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 04/08/2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

प्रपत्र - डिक्री

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर) राज.

पीठासीन अधिकारी - श्री विश्वामित्र मीणा R.A.S

मुकदमा संख्या	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
S.D.O NO. 36/08	18.1.2008	
Acm N.O. 378/13	8.3.2013	

अनुवाद

[1] श्रीमती सन्तोष पत्नि श्री ताराचन्द जाति कुम्हार निवासी कुहीवावड़ तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज.)

- वादिया

बनाम

[1] रामानन्द
[2] सुन्डा पुत्रान कीस्तुरी पुत्र उमराव जाति अहीर निवासी कुहीवावड़
[3] राज. सरकार जरिये तहसीलदार तह॰ कोटकासिम (अलवर)
[4] श्रीमती सुशीला देवी w/o बाबूलाल जाति कुमावत
[5] कैलाश चन्द पुत्र खेमचन्द जाति बानिया निवासी कुहीवावड़
[6] रामधन पुत्र नन्दसुखराम जाति अहीर निवासी खानावास
[7] दशरथ पुत्र हरिकिशन उर्फ कालूसिंह जाति राजपूत निवासी कुहीवावड़ तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज.)

- प्रतिवादीगण

दावा तकासमा आराजी बाबत हुक्मडिक्री तकसीम
धारा 53, 188 राज. काश्त. अधिनियम 1955

अतः वादिया का वाद इस कदर फैसला डिक्री किया जाता है कि आराजी ख. नं. 1170/3 रकबा 0.06 बिस्वा श्रीमती संतोष पत्नि ताराचन्द कुम्हार सा. देह खातेदार जिसका लगान 0.24 रहेगी। आराजी ख. नं. 1170/1 रकबा 0-06 बिस्वा रामानन्द पुत्र कीस्तुरी अहीर सा. देह खातेदार जिसका लगान 0.24 रहेगी। आराजी ख. नं. 1170/4 रकबा 0-06 बिस्वा सुन्डाराम पुत्र कीस्तुरी अहीर सा. देह खातेदार जिसका लगान 0.24 रहेगी। आराजी ख. नं. 1170/2 रकबा 0-02 बिस्वा श्रीमती संतोष पत्नि ताराचन्द कुम्हार 1/3, रामानन्द पुत्र कीस्तुरी 1/3 अहीर, व सुन्डाराम पुत्र कीस्तुरी अहीर सा. देह खातेदार जिसका लगान 0.08 रहेगी। इसी अनुसार लगातार

ण्ड अधिकारी
सिम (अलवर)

[2]

राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

निर्णय आज दिनांक 04/08/2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner